Rajasthan Bhamashah Card Scheme 2020

राज्य की महिलाओ का बैंक खाता होना अनिवार्य है ताकि बैंक खाते को आधार तथा भामाशाह से जोड़ा जा सके | बैंक शाखा में महिला मुखिया का एकल बैंक अकॉउंट हो सकता है या महिला के पति या परिवार के सदस्य के साथ बैंक खाता खुलवा सकते है | **Rajasthan Bhamashah Card Scheme 2020** के तहत समस्त नकद व गैर नकद लाभ (धनराशि) सीधे लाभार्थी महिलाओ के बैंक खाते में पंहुचा दी जाएगी | राज्य सरकार द्वारा चलाई गयी जन कल्याण **सरकार योजनाओ** का नकद तथा गैर नकद लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार की महिला मुखिया का भामाशाह नामांकन होना ज़रूरी है | मुखिया महिला के बैंक खाते के बिना भामाशाह में नामांकन संभव नहीं होगा |

राजस्थान भामाशाह कार्ड योजना 2020 का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य राज्य की महिला को भामाशाह कार्ड के ज़रिये सरकारी योजनाओ से मिलने वाला नकद तथा गैर नकद लाभ सरल तरीके से उपलब्ध कराना | **राजस्थान भामाशाह कार्ड योजना 2020** के ज़रिये महिलाओ का सशक्तिकरण करना तथा आर्थिक रूप से परिवार पर निर्भर रहने से मुक्त करना | इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया बनाना तथा आत्मनिर्भर बनाना | महिलाओ के जीवन में आर्थिक रूप से आने वाली परेशानी को इस योजना के ज़रिये दूर करना | भामाशाह योजना का मुख्य मकसद लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ में पारदर्शिता लाना है |

भामाशाह कार्ड योजना 2020 के लाभ

- इस योजना के ज़रिये राज्य के हर वर्ग के प्रत्येक परिवार को लाभ पहुंचना |
- भामाशाह योजना का मुख्य मकसद लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ में पारदर्शिता लाना है |
- भामाशाह कार्ड के माध्यम से पचास से भी ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा लाभार्थी के खाते में पहुँच रहा है|
- SMS के माध्यम से खाते में हुए किसी भी लेन-देन की जानकारी लाभार्थी को मिलती रहती है |
- इस भामाशाह कार्ड के ज़रिये प्रत्येक परिवार को सरकारी योजनाओ से लाभ प्राप्त होगा |
- लाभार्थी के बैंक में नकद धनराशि का सीधा हस्तांतरण |
- निवासी को नकद जमा और निकासी की सुविधा |
- Bhamashah Card Yojana के अंतर्गत महिलाओं को परिवार का मुखिया बनाया गया है। यह योजना के ज़रिये प्रमुख रूप से महिलाओं को सशक्तिकरण करना है |

भामाशाह कार्ड योजना 2020 के दस्तावेज़ (पात्रता)

- लाभार्थी राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए |
- लाभार्थी का बैंक अकॉउंट होना अनिवार्य है |
- आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- राशन कार्ड /पेन कार्ड /बी पी एल कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो